न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र 23/2021 (2021/88)

बन्ना पुत्र कजोड धोबी जाति धोबी निवासी कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तह. केकडी जिला अजमेर

अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 28.10.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कादेडा तहसील केकडी ज़िला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम कादेडा की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 610–534 कुल किता 6 कुल रकबा 3.4900 हैक्ट दर्ज है। वर्णित आराजियाता प्रा. की खातेदारी की आराजीयात है जिसकी पत्थरगढी कराना चाहता है। उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण विवाद होने की आशंका पेदा हो गृई है। इसलिए पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि राजहित अप्रभावित है। अतः वकील प्रार्थी व अप्रार्थी पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

प्रार्थी स्वयं हाजिर। सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र, में अंकित कथनो को दोहराया। पेरोकार सरकार को भी प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी करने में आपत्ति नही है। पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नही होना बताया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को उक्त की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वाके ग्राम कादेडा की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 610–534 कुल किता 6 कुल रकबा 3.4900 हैक्ट की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क अदा करने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को केम्प कादेडा मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)
28/10/2021

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र 23/2021 (2021/88)

बन्ना पुत्र कजोड धोबी जाति धोबी निवासी कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तह. केकडी जिला अजमेर

अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 28.10.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम कादेडा की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 610–534 कुल किता 6 कुल रकबा 3.4900 हैक्ट दर्ज है। वर्णित आराजियाता प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है जिसकी पत्थरगढी कराना चाहता है। उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण विवाद होने की आशंका पेदा हो गई है। इसलिए पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि राजहित अप्रभावित है। अतः वकील प्रार्थी व अप्रार्थी पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

प्रार्थी स्वयं हाजिर। सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र, में अंकित कथनो को दोहराया। पेरोकार सरकार को भी प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी करने में आपत्ति नही है। पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नही होना बताया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वाके ग्राम कादेडा की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 610–534 कुल किता 6 कुल रकबा 3.4900 हैक्ट की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क अदा करने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को केम्प कादेडा मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

क्रमांकः– केम्प कादेडा/2021

दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. तहसीलदार केकड़ी।
2. श्री बन्ना पुत्र कजोड धोबी निवासी कादेडा।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र 23/2021 (2021/88)

बन्ना पुत्र कजोड धोबी जाति धोबी निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तह. केकडी जिला अजमेर

अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 28.10.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम कादेडा की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 610–534 कुल किता 6 कुल रकबा 3.4900 हैक्ट दर्ज है। वर्णित आराजियाता प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है जिसकी पत्थरगढी कराना चाहता है। उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण विवाद होने की आशंका पेदा हो गई है। इसलिए पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि राजहित अप्रभावित है। अतः वकील प्रार्थी व अप्रार्थी पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

प्रार्थी स्वयं हाजिर। सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र, में अंकित कथनो को दोहराया। पेरोकार सरकार को भी प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी करने में आपत्ति नही है। पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नही होना बताया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वाके ग्राम कादेडा की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 610–534 कुल किता 6 कुल रकबा 3.4900 हैक्ट की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क अदा करने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को केम्प कादेडा मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

दिनांकः–

क्रमांकः– केम्प कादेडा/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. तहसीलदार केकड़ी।
2. श्री बन्ना पुत्र कजोड धोबी निवासी कादेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)
28/10/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Scanned with CamScanner